

2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी लूणी )  सू.अ.अ. अपील संख्या 12 / 2019	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह, पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.11.18 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड स्तरीय गणतंत्र (26जनवरी) समारोह आयोजित करने संबंधित राज्य सरकार केपरिपत्र की नियमानुसार प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से जरिये पत्रांक 135 दिनांक 17.01.2019 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि खेमसिंह द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक 05 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है, चूंकि चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) द्वारा प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है परन्तु अपील दायर होने के पश्चात् सूचना दी गई अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित भी किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विधिक प्रावधानों में नियत अवधि में किया जावे। अपील अपीलार्थी इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एव पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	